वार्षिक प्रतिवेदन
2016-17

भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय
और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली, का एक स्वायत्त निकाय) 21वें संस्था पंजिकरण अधिनियम 1860,
पंजीकरण संख्या S/1440/2016 (दिल्ली)

प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन
2016-17

आईएसएलआरटीसी के डिप्लोमा के छात्र

भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र
(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, का एक स्वायत्त निकाय) 21वें संस्था पंजिकरण अधिनियम 1860, पंजीकरण संख्या S/1440/2016 (दिल्ली)
A–91, प्रथम तल, नागपाल बिज़नेस टॉवर, ओखला फेज II, नई दिल्ली–110020
टेलीफोनः 011–26387558/59
ईमेलः islrtcnewdelhi@gmail.com

सूची तालिका

1.	**कार्यकारी सारांश**	1
2.	**प्रस्तावना**	2
	2.1. आईएसएलआरटीसी के लक्ष्य एवं उद्देश्य	3
3.	**शैक्षिक गतिविधियाँ**	3
	3.1. भारतीय सांकेतिक भाषा अनुवाद में डिप्लोमा	3
	3.1.1. प्रयोजन	3
	3.1.2. उद्देश्य	4
	3.1.3. कोर्स की अवधि	4
	3.1.4. प्रवेश	4
	3.1.5. बैचों की संख्या	4
4.	**सेवाएं**	5
5.	**संसाधन विकास**	7
	5.1. भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश	7
	5.2. भारतीय सांकेतिक भाषा दुभाषिया निर्देशिका	8
	5.3. भारतीय सांकेतिक भाषा पर उपलब्ध एप्स का अध्ययन एवं विश्लेषण	8
6.	**आईएसएलआरटीसी में प्रशिक्षण एवं सम्मलेन**	9
	6.1. "भारतीय सांकेतिक भाषा के माध्यम से बधिरों का सशक्तिकरण" पर सम्मलेन	9
7.	**पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र**	10
	7.1. पुस्तकालय का पुस्तक संग्रह	10
8.	**अन्य**	11
	8.1. प्रकाशन	11
	8.2. प्रतिनियुक्ति	11
	8.3. आईएसएलआरटीसी में आए आगंतुक	11
9.	**वर्ष 2016–17 का वार्षिक लेखा**	12
	परिशिष्ट I– सामान्य परिषद् सदस्य	20
	परिशिष्ट II – कार्यकारिणी परिषद् सदस्य	21
	परिशिष्ट III– संगठनात्मक चार्ट	22
	परिशिष्ट IV– स्टाफ संख्या	23

1. कार्यकारी सारांश

भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है जो इक्कीसवें संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860, पंजीकरण संख्या S/1440/2016 के अंतर्गत स्थापित हुआ है। यह केंद्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन), भारत सरकार, नई दिल्ली, के संरक्षण में स्थापित हुआ है।

वर्ष 2016–17 में हुई आईएसएलआरटीसी की प्रमुख गतिविधियों का सारांश निम्नलिखित है:

- केंद्र ने भारतीय सांकेतिक भाषा अनुवाद में डिप्लोमा (DISLI) के दो बैच शुरू किये, इस बैच में 24 विद्यार्थियों का दाखिला हुआ। देश में सांकेतिक भाषा दुभाषियों की मौजूदा मांग की पूर्ति के लिए केंद्र निरंतर कार्यरत है।

- "भारतीय सांकेतिक भाषा के माध्यम से बधिरों का सशक्तिकरण" विषय पर एक दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मलेन का आयोजन 20 और 21 मार्च 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया गया। देश के श्रवण और बधिर विशेषज्ञों ने बधिर शिक्षा और भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) से संबंधित कई विषयों पर भाषण दिया और स्कूल के शिक्षकों ने, बधिरों के अभिभावकों और बधिरों ने इस सम्मलेन में भाग लिया।

- 1062 संकेत वीडियो वाले ISL के शब्दकोश को तैयार किया गया और 20 मार्च 2017 को आईएसएलआरटीसी के राष्ट्रीय सम्मलेन में उसकी CD का विमोचन हुआ। आईएसएलआरटीसी के यू ट्यूब चैनल पर 1000 संकेतों के वीडियो भी उपलब्ध हैं।

- दुभाषियों की एक निर्देशिका तैयार की गई जिसके माध्यम से दुभाषियों की आवश्यकता पड़ने पर इस सूची का प्रयोग किया जा सकता है। इस निर्देशिका में 311 दुभाषियों का नाम और अन्य सूचना सूचीबद्ध है तथा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

- आईएसएलआरटीसी द्वारा, आईआईटी, दिल्ली के सहयोग से, सांकेतिक भाषा पर उपलब्ध मौजूदा एप्स का एक सर्वेक्षण किया गया।

2. प्रस्तावना

दक्षिण एशियाई क्षेत्र के प्राचीनतम बधिर विद्यालयों में से कुछ विद्यालय भारत में हैं, फिर भी ज्यादातर बधिर बच्चे व्यावहारिक रूप से निरक्षर हैं। जीर्ण–शीर्ण प्रशिक्षण के तरीकों और शिक्षण प्रणाली के पुनः प्रवर्तन की आवश्यकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 26,810,557 दिव्यांगजनों में से 50, 71,007 लोगों में श्रवण विकलांगता और 1,998535 लोगों में वाक विकलांगता है (जनगणना 2011)। बधिर समुदाय की ज़रूरत है कि एक समान भारतीय सांकेतिक भाषा हो और उससे जुड़े कई मुद्दों की बहुत समय से उपेक्षा होती आई है और बधिरों के साथ काम करने वाले कई संगठनों ने उनकी परेशानियों के बारे में लिखा है।

सांकेतिक भाषाएँ दृश्य संकेतों वाली भाषाएँ है जो हाथों के संचलन, चेहरे के हाव–भावों और सिर/शरीर की अवस्था का प्रयोग करते हुए भाषाई सन्देश पहुंचाती हैं। 1960 के दशक में हुए अनुसंधानों ने बिना किसी संदेह के ये दर्शाया है कि सांकेतिक भाषाएँ पूर्ण रूप से नैसर्गिक भाषाएँ हैं, पूर्ण रूप से विकसित इंसानी भाषाएँ हैं, जो कि भाषाई संगठन के हर स्तर पर बोलती भाषाओँ के समान हैं। विश्व के विभिन्न भागों में प्रयोग होने वाली विभिन्न सांकेतिक भाषाएँ एक दूसरे से अलग हैं और हर एक का अपना व्याकरण और शब्दावली है।

भारतीय सांकेतिक भाषा का प्रयोग भारत भर में मौजूद बधिर समुदाय द्वारा किया जाता है। भारत में बधिर समुदाय मुख्य रूप से शहरी समुदाय है, जहाँ बधिर लोग एक दूसरे से शैक्षिक संस्थानों, बधिर क्लबों, संगठनों, और सामाजिक समारोह में मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बधिर एक दूसरे से अलग रहते हैं और सांकेतिक भाषा तक उनकी पहुँच बिलकुल भी नहीं या फिर बहुत ही कम होती है। इसलिए, भारतीय सांकेतिक भाषा का प्रयोग ज्यादातर कस्बों और शहरों में ही केन्द्रित है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बधिरों तक भारतीय सांकेतिक भाषा का पहुँचाना एक बड़ी चुनौती है।

संयुक्त राष्ट्र विकलांगजन अधिकार सम्मेलन (UNCRPD), जिसका भारत भी हस्ताक्षरकर्ता है, के अनुसार जीवन के हर एक क्षेत्र में दिव्यांगजनों को समान अवसर प्रदान करना सरकार के लिए अनिवार्य है। "सुगमता" पर आधारित धारा – 9(2)(म) के अनुसार जो भी देश इस सम्मेलन के हस्ताक्षरकर्ता हैं, वे उचित कार्यवाही करेंगे जिससे "मौके पर उपस्थित कर्मचारी और मध्यवर्ती संस्थाओं, जिनमें गाइड, पाठक और पेशेवर सांकेतिक भाषा दुभाषिये शामिल हैं, द्वारा सुगमता प्रदान हो..."। धारा 21(इ) जो अभिव्यक्ति और विचारों की स्वतंत्रता और सूचना की सुगमता पर आधारित है, वो "सांकेतिक भाषा के प्रयोग को स्वीकार करने और उसको सुविधाजनक बनाने..." और (म) "भारतीय सांकेतिक भाषा को मान्यता देने और उसे बढ़ावा देने" का निर्देश देती है।

एक ऐसे स्वतंत्र संस्थान की स्थापना करना अनिवार्य था, जिसका एकमात्र उद्देश्य और ध्यान भारतीय सांकेतिक भाषा के विकास, अनुसंधान और प्रशिक्षण पर हो।

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली, के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के संरक्षण में भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की अनुमति प्रदान की गयी। यह केंद्र इक्कीसवें संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकरण संख्या S/1440/2016 के अंतर्गत स्थापित किया गया।

2.1 आईएसएलआरटीसी के लक्ष्य और उद्देश्य

संगठन के ज्ञापन में उल्लिखित प्रयोजन और उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- भारतीय सांकेतिक भाषा, द्विभाषावाद सहित (सांकेतिक भाषा + लेखन), के प्रयोग, शिक्षण और उसमें अनुसंधान करने हेतु श्रमशक्ति का विकास करना।

- बधिर बच्चों की प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में बढ़ावा देना। केंद्र, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य शिक्षा बोर्ड के साथ मिल कर इसके साधनों पर कार्य करेगा।

- भारत और विदेश के विश्विद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थानों की सहायता से अनुसंधान करना और भारतीय सांकेतिक भाषा कोश सहित भाषाई अभिलेख/विश्लेषण तैयार करना।

- सरकारी अफसर, शिक्षक, पेशेवर, समुदाय के नेता और जनता को भारतीय सांकेतिक भाषा को समझने और उसे प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षण और दिशानिर्देश प्रदान करना।

  बधिर संगठनों और विकलांगजनों के साथ काम करने वाले अन्य संस्थानों के साथ मिल कर भारतीय सांकेतिक भाषा का प्रचार और प्रसार करना।

3. शैक्षिक गतिविधियाँ

आईएसएलआरटीसी, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुवाद में एक साल के डिप्लोमा कोर्स का संचालन कर रहा है।

3.1 भारतीय सांकेतिक भाषा अनुवाद में डिप्लोमा (DISLI)

सभी सार्वजनिक और शैक्षिक क्षेत्रों से सम्प्रेषण की बाधाओं को हटाने के लिए बधिरजनों को दुभाषियों की अत्यंत आवश्यकता है। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुवाद में डिप्लोमा एक साल का कोर्स है जिसमें वो लोग जो बधिर नहीं हैं, भारतीय सांकेतिक भाषा से बोलती भाषा में या उसके विपरीत अनुवाद में ज्ञान, कौशल और योग्यता अर्जित करते हैं।

3.1.1 प्रयोजनः

भारतीय सांकेतिक भाषा अनुवाद (इंटरप्रिटेशन) में डिप्लोमा का प्रयोजन बधिरजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करना है। यह डिप्लोमा प्रशिक्षु को भारतीय सांकेतिक भाषा से बोलती भाषा में या उसके विपरीत अनुवाद में ज्ञान, कौशल और योग्यता अर्जित करने में सक्षम करता है।

3.1.2 उद्देश्यः

इस कोर्स का उद्देश्य प्रशिक्षु को कक्षा में या वास्तविक जीवन में भारतीय सांकेतिक भाषा से बोलती भाषा में या उसके विपरीत अनुवाद में प्रशिक्षण देना है।

3.1.3 कोर्स की अवधिः

इस कोर्स की अवधि एक साल है जो कि दाखिले की तारीख से अधिकतम दो साल के भीतर पूरी की जा सकती है।

3.1.4 प्रवेशः

कोर्स की प्रवेश क्षमता और दाखिल किये गए विद्यार्थी इस प्रकार हैं:

कोर्स का नाम	प्रवेश क्षमता	दाखिल विद्यार्थी
भारतीय सांकेतिक भाषा अनुवाद डिप्लोमा (DISLI)	15	बैच I–9 बैच II–15

3.1.5 बैचों की संख्या

आईएसएलआरटीसी डिप्लोमा के दो बैचों का संचालन कर रहा है। पहले बैच का उद्घाटन 29 अक्टूबर, 2016 को संयुक्त सचिव एवं प्रभारी निदेशक ने किया था। 4 नवम्बर, 2016 से 9 विद्यार्थियों के साथ कक्षा शुरू हुई। 19 नवम्बर, 2016 को 15 विद्यार्थियों के साथ दूसरे बैच की कक्षा शुरू हुई।

सांकेतिक भाषा विज्ञान प्रशिक्षक, श्री सचिन सिंह डिप्लोमा कोर्स के छात्रों को पढ़ाते हुए

4. सेवाएँ

आईएसएलआरटीसी कई संगठनों को दुभाषिया सेवा भी उपलब्ध करवाता है। सभी EC और GC की सभाओं में आईएसएलआरटीसी के दुभाषियों ने ही अनुवाद किया है। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 की सभा जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में हुई थी उसमें भी आईएसएलआरटीसी के दुभाषिए ही अनुवाद के लिए उपस्थित थे। वर्ष 2016–17 में आईएसएलआरटीसी के दुभाषियों ने निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान कीं:

क्रम सं.	तारीक	स्थान	कार्यक्रम	टिप्पणियां
1.	28/10/2016	विज्ञान भवन, नई दिल्ली	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 'रिओ पैरालिम्पिक मैडल धारकों, T–20 एशिया कप भारतीय नेत्रहीन क्रिकेट टीम, और भारतीय नेत्रहीन पैराजुडो टीम का सम्मान	
2.	3/12/2016	विज्ञान भवन, नई दिल्ली	दिव्यांगजनों का राष्ट्रीय सम्मान, 2016	
3.	30/12/2016	कान्सटीट्यूशन क्लब ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली	राष्ट्रीय न्यास का वार्षिक कार्यक्रम	
4.	20/03/2017 to 21/03/2017	विज्ञान भवन, नई दिल्ली	आईएसएलआरटीसी का राष्ट्रीय सम्मलेन "भारतीय सांकेतिक भाषा के माध्यम से बधिरों का सशक्तिकरण"	
5.	25/03/2017 नई दिल्ली	प्रवासी भारतीय केंद्र,	राष्ट्रीय न्यास द्वारा आयोजित डाउन सिंड्रोम पर राष्ट्रीय सम्मलेन।	
6.	02 /03/17	सत्र न्यायालय, चित्तोडगढ, राजस्थान।	आईपीसी की धारा 164 के अंतर्गत बलात्कार के केस में अभियोजन	बधिर लड़की का बयान रिकॉर्ड करने के लिए
7.	03/03/17	अतिरिक्त न्यायालय, कपासन, चित्तोडगढ, राजस्थान	आईपीसी की धारा 164 के अंतर्गत बलात्कार के केस में अभियोजन	बधिर लड़की का बयान रिकॉर्ड करने के लिए

आईएसएलआरटीसी की दुभाषिया अन्नू गौतम (ऊपर) और निधि मिश्रा (नीचे), दो अलग कार्यक्रमों में दुभाषिया सेवाएं प्रदान करती हुईं

5. संसाधन विकास

आईएसएलआरटीसी कई प्रकार की सूचियाँ और भारतीय सांकेतिक भाषा पर संसाधन सामग्री विकसित कर रहा है।

5.1 भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश

आईएसएलआरटीसी न्यूनतम 5000 शब्दों वाला एक भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश बना रहा है। यह शब्दकोश भारतीय सांकेतिक भाषा सीखने हेतु बधिर और जो बधिर नहीं है, दोनों के लिए ही बहुत ही उपयोगी प्रासंगिक सामाग्री होगी। यह शब्दकोश ऑनलाइन एवं पुस्तक के रूप में उपलब्ध होगा। इस शब्दकोश में शब्द निम्नलिखित 5 वर्गों में विभाजित हैं:

1. रोज़मर्रा के शब्द
2. शैक्षिक शब्द
3. कानून संबंधी शब्द
4. चिकित्सा संबंधी शब्द
5. तकनीकी शब्द

संकेतों के अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी में व्याकरण वर्ग, हिंदी शब्द, हिंदी में व्याकरण वर्ग की सूची दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट पर 31 जनवरी, 2017 को अपलोड की गई थी। इस सूची में 6032 शब्द थे, जो इस वर्गानुसार निम्नलिखित हैं:

1. रोज़मर्रा के शब्द (1904 शब्द)
2. कानून संबंधी शब्द (1010 शब्द)
3. शैक्षिक शब्द (1205 शब्द)
4. चिकित्सा संबंधी शब्द (977 शब्द)
5. तकनीकी शब्द (936 शब्द)

इन संकेतों की वीडियो रिकॉर्डिंग फरवरी 2017 में शुरू हुई। वे सभी वीडियो आईएसएलआरटीसी के यू ट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। चैनल का लिंक इस प्रकार है:

https://www.youtube.com/channel/UC3AcGIlqVI4nJWCwHgHFXtg/videos?&ab_channel=ISLRTCNEWDELHI

1062 वीडियो वाली CD और हिंदी और अंग्रेजी में उनकी शब्द सूची आईएसएलआरटीसी के राष्ट्रीय सम्मलेन "भारतीय सांकेतिक भाषा के माध्यम से बधिरों का सशक्तिकरण" में 20–21 मार्च, 2017 को निःशुल्क वितरित की गयीं।

भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का कार्य प्रगति पर, श्री राहुल गर्ग, अनुसंधान सहायक, आईएसएलआरटीसी के स्टूडियो में विश्वजीत नायर, सांकेतिक भाषा विज्ञान प्रशिक्षक द्वारा किए गए संकेत रिकॉर्ड करते हुए

5.2 भारतीय सांकेतिक भाषा दुभाषिया निर्देशिका

यह निर्देशिका अपने प्रयोजन अनुसार बधिर और जो बधिर नहीं हैं, दोनों ही समुदाय के लोगों को दुभाषियों की तैयार सूची प्रदान करती है। दुभाषियों की सुगम उपलब्धता बधिरजनों को सार्वजनिक और शैक्षिक वातावरण में सूचना पाने में सक्षम करेगी। 311 दुभाषियों की सूची दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

5.3 सांकेतिक भाषा पर उपलब्ध एप्स का अध्ययन एवं विश्लेषण

9 दिसम्बर 2016 को संयुक्त सचिव एवं आईएसएलआरटीसी के प्रभारी निदेशक, की अध्यक्षता में सांकेतिक भाषा में मोड्यूल विकसित करने के लिए कार्य दल की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि आई.आई.टी. नई दिल्ली सांकेतिक भाषा पर उपलब्ध एप्स का प्रारम्भिक सर्वेक्षण करेगी।

सांकेतिक भाषा एप्स पर पहली अंतरिम रिपोर्ट 29 जनवरी 2017 को प्राप्त हुई जिसमें तीन श्रेणियों के अंतर्गत 14 समाधान दिए गए। सर्वेक्षण के बाद , आईआईटी, नई दिल्ली के साथ मिल कर भारतीय सांकेतिक भाषा पर एक नई एप विकसित की जाएगी।

6. आईएसएलआरटीसी में प्रशिक्षण और सम्मेलन

6.1 "भारतीय सांकेतिक भाषा के माध्यम से बधिरों का सशक्तिकरण" पर राष्ट्रीय सम्मलेन

"भारतीय सांकेतिक भाषा के माध्यम से बधिरों का सशक्तिकरण" पर एक दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मलेन 20–21 मार्च 2017 को केंद्र द्वारा आयोजित किया गया। इस सम्मलेन का मुख्य उद्देश्य भारतीय सांकेतिक भाषा और बधिर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत पेशेवरों को आम मंच प्रदान करना था, जिससे वे बधिरों के रोज़गार, उनकी शिक्षा और सम्प्रेषण के विभिन्न पहलुओं पर अपने अनुभव साझा कर सकें। आईएसएलआरटीसी ने तमाम हितधारकों को बधिरों के रोज़गार, उनकी शिक्षा और सम्प्रेषण के विभिन्न पहलुओं पर विचारविमर्श करने हेतु एक साझा मंच प्रदान करने का कदम उठाया जिससे नीति सुझाव तैयार किए जा सकें। इस सम्मलेन के लिए, आईएसएलआरटीसी ने 6 बधिर संगठनों – साईं स्वयं सोसाइटी, राष्ट्रीय बधिर संगठन, अखिल भारतीय बधिर महिला संस्थान, डेफ इनेबल्ड संस्थान, भारतीय सांकेतिक भाषा इन्टरप्रेटर्स संगठन(ISLIA) और सांकेतिक भाषा इन्टरप्रेटर्स संगठन (ASLI) के साथ ज्ञान के क्षेत्र में साझेदारी की।

सम्मलेन का केंद्र बिंदु भारतीय सांकेतिक भाषा की क्षमता को उजागर करना था, जिससे यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग होने वाली उच्च स्तरीय प्रथाओं को साझा कर शिक्षा का माध्यम बन सके।

गैलुडेट विश्वविद्यालय, अमेरिका के प्रोफेसर डॉ. मदन वशिस्ठ, आईएसएलआरटीसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मलेन के दौरान लेक्चर देते हुए

आईएसएलआरटीसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मलेन के दौरान मंच पर आसीन गणमान्य जन

7. पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र

आईएसएलआरटीसी के पुस्तकालय में 394 पुस्तकें हैं। इस पुस्तक संग्रह में सांकेतिक भाषा, बधिर अध्ययन, भाषा विज्ञान, विशेष शिक्षा, भाषान्तरण, सामान्य शिक्षा और सम्बंधित विषयों पर पुस्तकें/सन्दर्भ पुस्तकें शामिल हैं, जो स्टाफ और विद्यार्थियों की ज़रूरत को पूरा करती हैं। विद्यार्थी और स्टाफ दोनों ही पुस्तकालय से पुस्तक ले सकते हैं। स्टाफ और विद्यार्थियों को सन्दर्भ सेवाएँ भी प्रदान की जाती हैं। वर्तमान जागरूकता सेवा के तहत नई पुस्तकें प्रदर्शित की जाती है। विद्यार्थियों को मुफ्त फोटोकॉपी की भी सुविधा उपलब्ध है।

7.1 पुस्तकालय का पुस्तक संग्रह

31 मार्च 2017 को पुस्तकालय में संसाधनों की कुल संख्या इस प्रकार है:

क्रम सं	संसाधन के प्रकार	संख्या
1.	पुस्तक	394
2.	सीडी	4
3.	डीवीडी	6
4.	मैगजीन	4
5.	समाचार पत्र	7
6.	समाचार पत्र की कटिंग	4

आईएसएलआरटीसी का पुस्तकालय एवं सूचना विभाग

8. अन्य

8.1 प्रकाशन

श्रीवास्तव, ए.के.,(2016). "इफ़ेक्ट ऑफ़ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डेवलपिंग फंक्शनल साइन लैंग्वेज अमंग हियरिंग पेरेंट्स ऑफ़ स्टूडेंट्स विथ डेफनेस" आई– मैनेजर्स जर्नल ऑन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अक्टूबर–दिसम्बर 2016

8.2 प्रतिनियुक्ति

डॉ. अभिषेक श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर, साइन लिंग्विस्टिक्स (डेफ स्टडीज़), 19 नवम्बर 2016 को एस.एन. हम्सप्रिया की मौखिक परीक्षा लेने फैकल्टी ऑफ़ डिसेबिलिटी मैनेजमेंट एंड स्पेशल एजुकेशन, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय, कोइम्बतूर, तमिल नाडू, गए।

आईएसएलआरटीसी में आये आगंतुक

सुश्री रेणुका रामेशन, सांकेतिक भाषा इन्टरप्रेटर्स संगठन(ASLI) की कोषाध्यक्ष और एक प्रचलित इंटरप्रेटर, 22 मार्च 2017 को केंद्र में आईं और अपने अनुभव और विशेषज्ञता से विद्यार्थियों को मार्ग दर्शन दिया।

9. वर्ष 2016–17 का वार्षिक लेखा

वर्ष 2016–17 के दौरान 3.00 करोड़ का अनुदान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार है:

अ)	सामान्य शीर्ष	:	₹ 2.10 करोड़
ब)	पूँजी संपत्ति	:	₹ 0.30 करोड़
स)	वेतन शीर्ष	:	₹ 0.60 करोड़
	कुल		:₹ 3.00 करोड़

वर्ष 2016–17 में प्राप्त अनुदान पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली, के माध्यम से संचालित किया गया था। इसलिए, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की वर्ष 2016–17 के खातों की लेखा परीक्षा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली के साथ की गयी है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय
शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता
मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन)
4–विष्णु दिगम्बर मार्ग,
नई दिल्ली–110002

**Pt. Deendayal Upadhyaya
National Institute for Persons with Physical
Disabilities (Divyangjan)**
(Under Ministry of Social Justice &
Empowerment, Government of India)
4- Vishnu Digamber Marg, New Delhi-110002

To,

Director,
Indian Sign Language Research & Training Centre,
A-91, Ist Floor, Nagpal Business Tower,
Okhla, Phase -2, New Delhi-20

Madm

It is to inform that the Audit of ISLRTC has been conducted by Director General of Audit Central Expenditure with the Institute Audit for the year 2016-17. The Audit Report is enclosed herewith for your reference.

Yours faithfully,

(Rohit Ku adhyay)
Accounts Officer

सत्यमेव जयते

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director Genral of Audit, (Central Expenditure)
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–110 002
Indraprastha Estate, New Delhi-110 002

पत्र संख्याः एम.एम.जी.–I / एस.ए.आर. / आई.पी.एच. / 2017–18 / 1014 दिनांकः 09.12.2017

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली–110001

विषय : पं. दीन दयाल उपाध्याय विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली के 2016–17 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं, पं. दीन दयाल उपाध्याय विकलांग जन संस्थान के वर्ष 2016–17 के प्रभावित वार्षिक लेखे की प्रति उसके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न कर रहा हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए जावें, इस कार्यालय तथा भरत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9–दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली–110124 को प्रेषित की जायें

कृपया यह सुनिश्चित करें कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing body) द्वारा अवश्य अनुमोदित करा लिया जाए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2016–17 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुकें हों।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपे निकाय द्वारा किया जाना ही आपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

अनुलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

निदेशक (ए.एम.जी.–I)

Ph +91-11-23454100
+91-11-23702271

DGACR Building, I.P. Estate, New Delhi-110002
E-mail: dgace@cag.gov.in

पत्र संख्याः एम.एम.जी.–I/एस.ए.आर./आई.पी.एच./2017–18/1016 दिनांकः 07.12.2017

प्रतिः

श्रीमती स्मिता जयवंत, निदेशक, पं. दीन दयाल उपाध्याय विकलांग जन संस्थान, 4 विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली–110002 को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र तथा प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रषित की जा रही है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के हिन्दी अनुवाद की एक प्रति शीघ्र इस कार्यालय को प्रषित की जायें।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेजों की दो प्रतियाँ उस तिथि को जब वे संसद में प्रस्तुत किए जायें, दर्शाते हुए इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्ष्झक का कार्यालय, नई दिल्ली–1100124 को प्रेषित की जायें।

अनुलग्नकः यथोपरि

निदेशक (ए.एम.जी.–I)

पत्र संख्याः एम.एम.जी.–I/एस.ए.आर./आई.पी.एच./2017–18/ दिनांकः

प्रतिः

वरि. प्रशासनिक अधिकारी (रिपोर्ट केन्द्रीय ए.बी.), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9–दीन दयाल उपाध्याय मार्ग्र, नई दिल्ली–110124 को प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसका पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित अग्रेषित की जा रही है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुलग्नकः यथोपरि

निदेशक (ए.एम.जी.–I)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली के 31 मार्च 2017 तक के खातों पर नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. हमनें पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली की 31 मार्च 2017 तक की संलग्न बैलेंस शीट, आय–व्यय खातों और रसीद और भुगतान खातों का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 धारा 20(1) के अंतर्गत लेखा परीक्षण किया। लेखा परीक्षण 2018–19 की अवधि तक के लिए सौंपा गया है। ये वित्तीय विवरण संस्थान के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी इस लेखा परीक्षण पर आधारित वित्तीय विवरणों पर राय प्रस्तुत करना है।

2. इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट में केवल लेखांकन के तरीकों जैसे वर्गीकरण, श्रेष्ठ लेखांकन अभ्यासों का अनुपालन, लेखांकन के मानदंडों और प्रकटीकरण मानदंडों, इत्यादि पर ही नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने टिप्पणियां दी हैं। यदि कोई वित्तीय लेन–देन से सम्बंधित लेखा अवलोकन है, जैसे कानून, नियम एवं विनियम (औचित्य और नियमितता) का अनुपालन और दक्षता एवं प्रदर्शन के पहलु, वह अवलोकन टिप्पणियां निरीक्षण रिपोर्ट / नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखा रिपोर्ट में अलग से प्रतिवेदित की जाएँगी।

3. हमनें, भारत में मान्य, लेखा परीक्षण के मानदंडों का पालन करते हुए लेखा परीक्षण किया है। इन मानदंडों की पूर्ति के लिए ये ज़रूरी है कि हम लेखा परीक्षा की इस प्रकार योजना बनाएं और उसका निष्पादन करें जिससे कि हमें वित्तीय विवरणों को लेकर एक उचित आश्वासन मिल सके कि उनमें किसी प्रकार का कोई वस्तुगत झूठा विवरण नहीं है। एक लेखा परीक्षण के अंतर्गत वित्तीय विवरण में दी गयी राशी और प्रकटीकरण के सहायक साक्ष्य का निरीक्षण होता है। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और बनाये गए अनुमानों का भी आंकलन होता है, साथ ही, वित्तीय विवरणों के सम्पूर्ण प्रदर्शन का भी आंकलन होता है। हम मानते हैं कि लेखा परीक्षा हमारी राय का उचित आधार है।

4. लेखा परीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि :

i हमनें वो सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार इस लेखा परीक्षा के लिए ज़रूरी थे।

ii इस लेखा परीक्षा के अंतर्गत आए बैलेंस शीट, आय–व्यय खातों और रसीद और भुगतान खातों को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रारूप में बनाया गया है।

iii हमारी राय में, बही–खातों की किताब के अब तक के आंकलन से ये प्रदर्शित होता है कि लेखा की किताबों और दूसरे ज़रूरी अभिलेखों को सही ढंग से अनुरक्षित किया गया है।

iv हम ये भी सूचित करते हैं:

अ. बैलेंस शीट

अ. 1 देयताएं

अ.1.1 निर्धारित/अक्षय निधि कोष– ₹ 10.31 लाख (अनुसूची 4)

खातों में, ISLRTC द्वारा देय मुद्रण शुल्क, ₹ 2.15 लाख की राशि को लेखाबद्ध नहीं किया गया है। परिणामस्वरुप, ISLRTC के सन्दर्भ में मौजूदा देयताओं की न्यूनोक्ति हो गयी है और निर्धारित/अक्षय निधि कोष में उसी राशि जितनी अत्युक्ति हो गयी है।

अ.2 संपत्ति

अ.2.1 निर्धारित/अक्षय निधि कोष के अंतर्गत निवेश– ₹ 1016.57 लाख (अनुसूची–7)

संस्थान द्वारा "निर्धारित/अक्षय निधि कोष के अंतर्गत निवेश" में ₹ 1016.57 लाख की राशि दिखाई गयी है। लेकिन, ये राशि संपत्ति, बैंक शेष राशि, सुरक्षा जमा राशि और दूसरे अग्रिम भुगतान, जो संस्थान के वर्तमान देयताओं में से घटाएं हैं, से सम्बंधित है। उपरोक्त राशि को अलग से निर्धारित शीर्ष के अंतर्गत दिखाने की बजाय "निर्धारित/अक्षय निधि कोष के अंतर्गत निवेश" के अंतर्गत दिखाया गया है, जिसकी वजह से ₹ 1016.57 लाख के निवेश की अत्युक्ति हो गयी है।

ब. सामान्य

ब.1 अनुदानों की गलत प्रविष्टि

संस्थान की प्रारम्भिक शेष राशि ₹ 30.53 लाख थी जो कि 2015–16 की अप्रयुक्त राशि थी। लेकिन, उस राशि को 2016–17 में अनुसूची 11 "अनुदान/अनुवृत्ति" के अंतर्गत प्रारंभिक शेष राशि में दिखाने की बजाय उस राशि को अनुसूची 15 में पूर्व समायोजन के रूप में दिखाया गया है।

ब.2 सीआरसी श्रीनगर के खाते

समग्र संसाधन केंद्र, श्रीनगर के खातों को इस लेखा परीक्षण में शामिल नहीं किया गया है। सीआरसी, श्रीनगर, के खातों को शामिल न किए जाने की वजह से लेखा परीक्षा समेकित खातों पर होने वाले प्रभाव का आंकलन नहीं कर सकी।

ब.3 सेवा निवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान

सेवा निवृत्ति लाभ जैसे ग्रेच्युटी, सेवा–निवृत्ति पेंशन, अवकाश नकदीकरण का संस्थान में कोई प्रावधान नहीं है।

स. सरकार द्वारा अनुदान

2016–17 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए ₹ 3558.03 लाख के अनुदान (₹1365.00 लाख नॉन प्लान के तहत, ₹ 830.00प्लान के तहत, ₹ 647.40 लाख सीआरसी लखनऊ के लिए, ₹ 200.00 लाख एडीआईपी स्कीम के तहत, ₹ 215.63 लाख सिपडा के तहत, और ₹ 300.00 लाख आईएसएलआरटीसी के लिए), में से ₹ 325.90 लाख (₹31.50 लाख नॉन प्लान के तहत, ₹ 124.40 लाख प्लान के तहत, ₹ 45.00 लाख सिपडा स्कीम के तहत, और ₹ 125.00 लाख आईएसएलआरटीसी के लिए) मार्च 2017 में दिए गए। संस्थान के पास पिछले साल का ₹ 186.59 लाख (₹ 30.53 लाख प्लान के तहत, ₹ 35.83 लाख सीआरसी लखनऊ के तहत, ₹ 100.37 लाख एडीआईपी स्कीम के तहत, ₹ 0.01 लाख सिपडा स्कीम के तहत और ₹ 20.50 लाख आईएसएलआरटीसी के तहत) का अप्रयुक्त अनुदान बाकी है। पूर्ण सरकारी अनुदान में से संस्थान ने ₹ 3474.20 लाख की राशि (₹ 720.55 लाख के अग्रिम बुगतान मिला कर) खर्च की, ₹ 270.42 लाख की राशि शेष है।

ड. **प्रबंधन पत्र**

जो कमियाँ लेखा परीक्षण में शामिल नहीं की गयीं हैं, उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रबंधन पत्र के ज़रिये अलग से **पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान** के समक्ष लाया गया है।

v. उपरोक्त अनुच्छेद में की गयीं टिप्पणियों के आधार पर हम सूचित करते हैं कि इस लेखा परीक्षण में बैलेंस शीट, आय–व्यय खाते/रसीद और भुगतान खाते लेखा की किताब के अनुसार हैं।

vi. हमारी राय में और जो हमें सूचना और स्पष्टीकरण दिए गए, उसके अनुसार, वित्तीय विवरणों का, लेखांकन नीतियों और खातों पर की टिप्पणियों, और उपर दिए गए आवश्यक मुद्दों और इस लेखा परीक्षण के परिशिष्ट में दिए गए मुद्दों के अनुसार अवलोकन किया है। ये रिपोर्ट भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का पालन करते हुए एक सही और निष्पक्ष अवलोकन देती है।

(अ) 31 मार्च 2017 तक के लिए किया गया लेखा परीक्षण पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान की बैलेंस शीट के सन्दर्भ में है।

(ब) 31 मार्च 2017 तक के लिए किया गया लेखा परीक्षण आय–व्यय खातों के अधिशेष के सन्दर्भ में है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षा के लिए और उनकी ओर से

लेखा परीक्षा महानिदेशक

(केन्द्रीय व्यय)

स्थानः नई दिल्ली

तिथिः

अनुलग्नक

1. आतंरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

2016–17 तक की संस्थान की आतंरिक लेखा परीक्षा एक चार्टेड अकाउंटेंट ने संचालित की थी।

2. आतंरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

संस्थान की आतंरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं थी क्योंकि उसमें विविध देनदारों और सीपीडब्लूडी के नाम पर पुराने बकाया अग्रिम भुगतानों की गैर मंजूरी है। दूसरे अग्रिम भुगतानों का भुगतान भी अनिर्णीत है। 2016–17 के लिए अचल संपत्ति का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया और फिक्स्ड रजिस्टर ढंग से अनुरक्षित नहीं किया गया।

3. संपत्ति के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

मार्च 2016 तक की अचल संपत्ति का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया। 31 अगस्त 2017 तक 2016–17 का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं हुआ था।

4. वस्तु सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

मार्च 2017 तक की वस्तुसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया।

5. देय राशि के भुगतान में नियमितता

वैधानिक देय राशि के भुगतान के सन्दर्भ में छः महीने से ऊपर के कोई भी भुगतान बकाया नहीं है।

निदेशक (एएमजी–I)

परिशिष्ट I – सामान्य परिषद् सदस्य

क्रम सं	सदस्य
1	सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (पदेन)
2	संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (पदेन)
3	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (पदेन)
4	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (पदेन)
5	संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (पदेन)
6	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (पदेन)
7	संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय (पदेन)
8	निदेशक, अखिल भारतीय स्पीच एवं हियरिंग संस्थान, (AIISH), मैसूर (पदेन)
9	निदेशक, अली यावर जंग राष्ट्रीय हियरिंग हैंडीकैप्ड संस्थान, (AYJNIHH), मुंबई (पदेन)
10	श्री ज़ोरिन सिंघा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय बधिर संगठन, दिल्ली
11	श्री संदीप टी. के. एम, अध्यक्ष, डेफ इनेबल्ड फाउंडेशन, हैदराबाद
12	श्री सैमुअल एन. मैथ्यू, कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्पीच एवं हियरिंग संस्थान, तिरुवानन्थ्पुरम, केरल
13	डॉ. उषा पंजाबी, अधीक्षक, मूक बधिर संगठन, इंदौर
14	श्री के. मुरली, निदेशक, डेफ लीडर फाउंडेशन, कोइम्बतूर
15	श्री उमेश ग्रोवर, अध्यक्ष, डेफ वेलफेयर एसोसिएशन, देहरादून

परिशिष्ट II – कार्यकारी परिषद् सदस्य

क्रम सं.	नाम / पद / विभाग
1	संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग – अध्यक्ष (पदेन)
2	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (पदेन)
3	निदेशक, अखिल भारतीय स्पीच एवं हियरिंग संस्थान,(AIISH), मानसगंगोत्री, मैसूर, कर्नाटक –570006 (पदेन)
4	निदेशक, अली यावर जंग राष्ट्रीय हियरिंग हैंडीकैप्ड संस्थान, (AYJNIHH), के. सी. मार्ग, बांद्रा रिक्लेमेशन, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई –– 400050 – (पदेन)
5	निदेशक, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र – सदस्य सचिव
6	श्री ए. एस. नारायणन, महासचिव, राष्ट्रीय बधिर संगठन, संख्या 102, प्रथम तल, प्लाट – 19–A, विशाल काम्प्लेक्स, पटपड़गंज गाँव, मयूर विहार, फेज I, दिल्ली– 91–सदस्य
7	श्री कमला कान्त पाण्डेय, लेक्चरर, उ. प्र. हियरिंग हैंडीकैप्ड संस्थान, 74 / 6 / 1, गंगापुरम, छोटा भागदा, इलाहाबाद – 211002. (उ. प्र.) – सदस्य
8	डॉ. विनय सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन ऑफ़ ग्रुप्स विथ स्पेशल नीड्स , राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली–– सदस्य
9	श्री अरुण सी. राव, अध्यक्ष, सांकेतिक भाषा दुभाषिया संगठन (ASLI), 4 / 54, मालवीय नगर, नई दिल्ली–110 017 – सदस्य
10	अतिया हाजी, महासचिव, भारतीय सांकेतिक भाषा इंटरप्रेटरर्स संगठन, 14 / 4, कोणार्क नगर–1, रिलायंस फ्रेश के सामने, विमान नगर, पुणे– 411014 (महाराष्ट्र) – सदस्य
11	श्रीमती निशा ग्रोवर, निर्देशन, अक्षर ट्रस्ट, 11वां तल, कीर्ति टावर, कीर्ति मंदिर के बगल में, तिलक रोड, वड़ोदरा, गुजरात– 390001– सदस्य
12	श्रीमती उमा कपूर, महासचिव, अखिल भारतीय बधिर महिला संस्थान, डीडीए, कम्युनिटी हॉल, गली चांदीवाली, पहाड़गंज, नई दिल्ली– 110055 – सदस्य
13	श्री पद्माकर तुलशीराम इंगले, विवेकानंद प्रतिष्ठान, 66 सुयोग कॉलोनी, जलगाँव – 425001 (महाराष्ट्र)–सदस्य
14	श्रीमती करीं उमा देवी, 202, राहुल कुंज, प्लाट–7, श्रीनिवास नगर, रिंग रोड, विजियानागरम, 535002 (आंध्र प्रदेश) – सदस्य

परिशिष्ट III – संगठनात्मक चार्ट

संगठनात्मक चार्ट

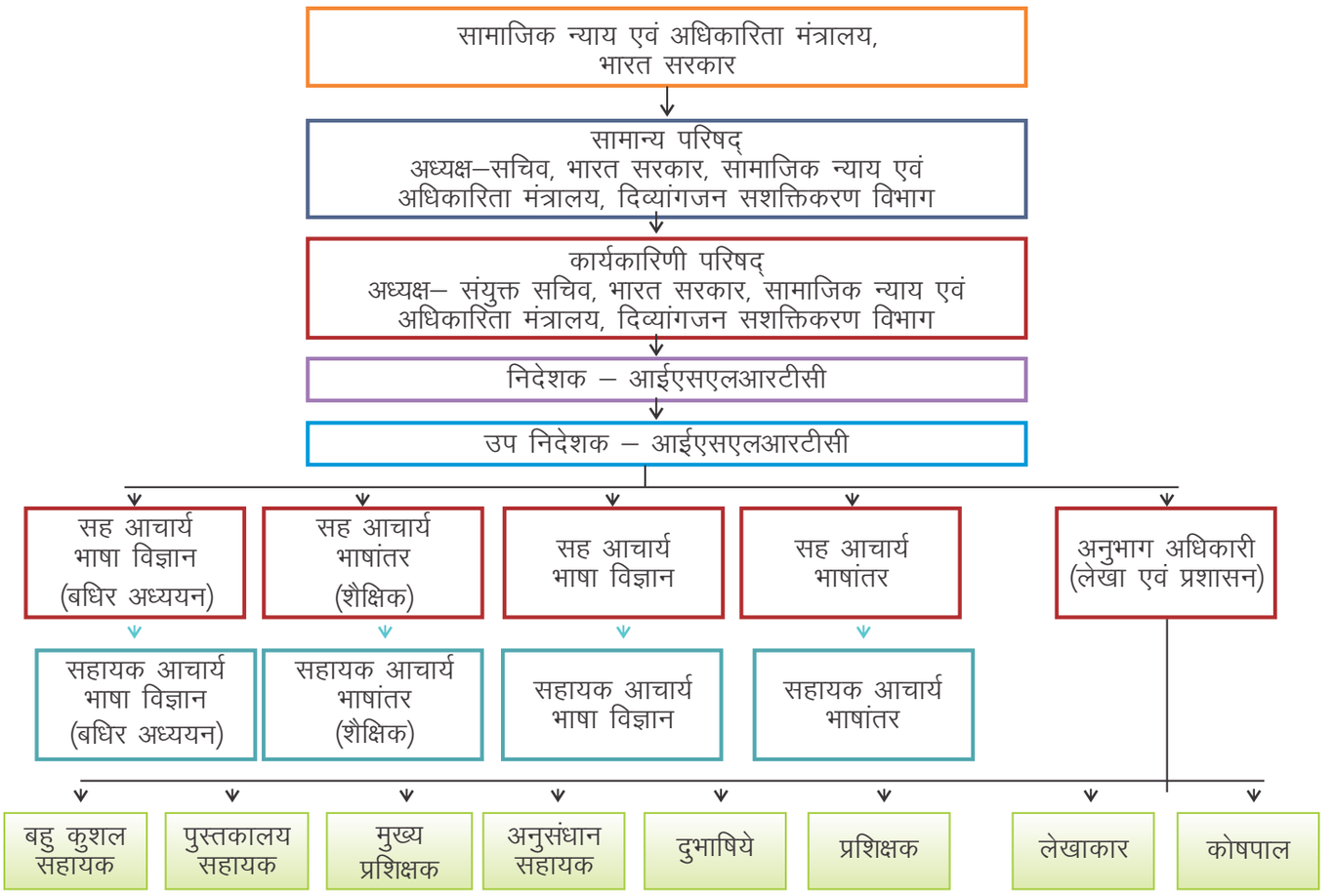

परिशिष्ट IV – स्टाफ संख्या

A. स्टाफ संख्या

पद	स्वीकृत संख्या	वर्तमान संख्या
ग्रुप ए	14	6
ग्रुप बी	12	7
ग्रुप सी	6	6
कुल	32	19

B. अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य एवं दिव्यांगजन संख्या

ग्रुप	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	दिव्यांगजन	
ए	2		1	3		
बी				7		
सी			1	2	3	
कुल	1		3	12	3	

भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय
और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली, का एक स्वायत्त निकाय) 21वें संस्था पंजिकरण अधिनियम 1860,
पंजीकरण संख्या S/1440/2016 (दिल्ली)

A–91, प्रथम तल, नागपाल बिज़नेस टॉवर, ओखला फेज II, नई दिल्ली–110020
टेलीफोनः 011-26387558/59
ईमेलः islrtcnewdelhi@gmail.com

www.censer.in (m) 9810118199